93

-: न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा :-

ज्ञापन

पृ.क्रमांक/ 609 / आर.दो.(एच.)/2021, छिन्दवाड़ा, दिनांक 25/06/2021

प्रतिलिपि:-

1. आवेदित विभाग संभागीय प्रबंधक एम.पी. आर.डी.सी. छिन्दवाड़ा।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव ।
3. तहसीलदार तामिया ।

" को इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 001 अ-19(4)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 23/06/2021 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

[illegible]

[illegible] कलेक्टर, [illegible]

छिन्दवाड़ा

श्री तेकामजी / श्री सोनी जी

2/7/21

M.P. ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LTD. ★ CHHINDWARA (M.P.) ★

305

Received

Date....... 16/7/21

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– /001/अ–19(4)/2021–22

म0प्र0 रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड विरूद्ध वनमंडलाधिकारी पश्चिम (सामान्य) छिन्दवाड़ा, वनमंडल छिन्दवाड़ा

1	2	3
23/06/2021	प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव से प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया गया, संभागीय प्रबंधक एम.पी. आर.डी.सी. छिन्दवाड़ा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2003/53/तामिया–जुन्नारदेव/एमपीआरडीसी/ छिन्दवाड़ा, दिनांक 21/01/2021 के माध्यम से लेख किया गया है कि म0प्र0 सड़क विकास निगम के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले में शासन की एडीबी 6/7 योजनांतर्गत तामिया–जुन्नारदेव मार्ग SH-41 (लंबाई 28.31 किमी) निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलित है। जिसमें मार्ग के 18.150 कि.मी. से 24.150 किमी. तक (कुल 5.90 किमी.) का भाग वन क्षेत्र से गुजरता है, जो कि वनमण्डालिकारी (पश्चिमी) सामान्य छिन्दवाड़ा के अंतर्गत आता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियमानुसार वनविभाग की भूमि अन्य शासकीय उपयोग में ली जाने पर समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने का प्रावधान है। अतः आवेदित विभाग द्वारा मार्ग उन्नयन कार्य हेतु 8.85 हे0 वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव द्वारा उनके राजस्व प्रकरण क्रमांक 0015/अ–19(3)/2021–22 प्रतिवेदन दिनांक 01/06/2021 में लेख किया गया कि तहसीलदार तामिया के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम लहगडुआ प0ह0नं0 30 स्थित भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 भूमि मिसल बंदोबस्त वर्ष 1913–14 में पहाड़ मद में दर्ज होकर मिसल बंदोबस्त वर्ष 1967–68 में पहाड़ मद में दर्ज है तथा वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज है। ग्राम पंचायत लहगडुआ द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग को दिये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव द्वारा तहसीलदार तामिया के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम लहगडुआ प0ह0नं0 30 रा0नि0मं0 व तहसील तामिया स्थित भूमि ख0नं0 71/1 रक़बा 53.754 हे0 मद पहाड़ चट्टान गैरवन संबंध में एडीबी 6/7 योजनांतर्गत प्रस्तावित तामिया–जुन्नारदेव मार्ग SH-41 (लंबाई 28.31 किमी) का उन्नयन कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली लगभग 8.85हे0 वनभूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य छिन्दवाड़ा को अंतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन इस न्यायालय में भेजा गया है। तहसीलदार तामिया के प्रतिवेदन दिनांक 16/03/2021 में	

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– / 001 / अ–19(4) / 2021–22

म0प्र0 रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड विरूद्ध वनमंडलाधिकारी पश्चिम (सामान्य) छिन्दवाड़ा, वनमंडल छिन्दवाड़ा

1	2	3
	लेख किया गया कि ग्राम लहगडुआ प0ह0नं0 30 तहसील तामिया स्थित भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में ग्राम पंचायत लहगडुआ की ग्राम सभा दिनांक 08.03.2021 के प्रस्ताव क्रमांक 3 के माध्यम से अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी से उक्त संबंध में जांच प्रतिवेदन लिया गया जिसके अनुसार ग्राम की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है– 1. ग्राम का कुल रकबा 1708.416 हे0 है। 2. ग्राम के खाते का कुल रकबा 816.418 हे0 है। 3. ग्राम में चराई का कुल रकबा 17.406 हे0 है। 4. ग्राम में आबादी का कुल रकबा 2.217 हे0 है। 5. निस्तार पत्रक के अनुसार– पहाड़ दर्ज है। 6. वर्तमान उपयोग– रिक्त है। 7. आपेक्षित भूमि पर पहाड़ी है एवं वृक्ष लगे है। 8. प्रश्नाधीन भूमि 2000 से कम जनसंख्या वाला ग्राम है। 9. प्रश्नाधीन भूमि मौके पर रिक्त पड़ी हुई है, मौके पर कोई नदी, नाला देवस्थान, मंदिर मस्जिद, कब्रस्तान आदि नहीं हे। 10. प्रश्नाधीन भूमि पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है जिसमें से 8.850 हे0 भूमि जो कि नक्शे पर लाल रोशनी से चिन्हित है को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तामिया द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से 8.850 हे0 भूमि वनमण्डलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य छिन्दवाड़ा को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव के माध्यम से इस न्यायालय में भेजा गया है। वनपरिक्षेत्राधिकारी तामिया (सामान्य) द्वारा वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल (सामान्य) को प्रेषित पत्र दिनांक 05.06.2021 की प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है जिसमे लेख है कि वन परिक्षेत्र तामिया (सामान्य) के अंतर्गत प0ह0नं0 30 तहसील तामिया के ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 एसएच–41 के निर्माण में आने वाली भूमि के बदले में वनविभाग को 8.850 हे0 भूमि हस्तांतरण किया जाना है, यह भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–6/11/06/10–3/2105, भोपाल दिनांक 03 जुलाई, 2008 के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अन्य भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के संबंध	

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक–/001/अ–19(4)/2021–22

म0प्र0 रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड विरूद्ध वनमंडलाधिकारी पश्चिम (सामान्य) छिन्दवाड़ा, वनमंडल छिन्दवाड़ा

1	2	3

मे निर्देशित किया गया है कि " **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जो वन भूमि विभिन्न कार्यो के लिये व्यपवर्तित की जाती है, उस भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि मे क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रावधानित किया गया है।** "

प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का मेरे द्वारा परिशीलन किया गया। प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 भूमि वर्तमान में शासकीय दर्ज है अधिकार अभिलेखम में पहाड़ चट्टान मद में दर्ज होकर मिसल बंदोबस्त में पहाड़ मद में दर्ज है तथा प्रश्नाधीन भूमि क्री उपयुक्तता के संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव एवं तहसीलदार तामिया द्वारा की गई जांच एवं अनुशंसा तथा वन परिक्षेत्राधिकारी तामिया (सा.) के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम लहगडुआ प0ह0नं0 30 रा0नि0मं0 व तहसील तामिया स्थित प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 में से 8.850 हे0 राजस्व भूमि मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–6/11/06/10–3/2105, भोपाल दिनांक 03 जुलाई, 2008 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में वन विभाग {वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा, वनमंडल (सामान्य)} को वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तांतरित की जाती है।

आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव एवं तहसीलदार तामिया की ओर प्रेषित की जाकर तहसीलदार तामिया को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती की जाकर प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य वन विभाग के पक्ष में सौंपा जावे।

आदेश की प्रति सर्वसंबंधितों को भेजी जावे।

प्रकरण नस्तीबद्ध, जिला अभिलेखागार जमा होवे।

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

(सौरभ कुमार सुमन)
कलेक्टर
छिन्दवाड़ा
कलेक्टर
जिला–छिन्दवाड़ा।